

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25.6.18 पत्रावली कोर्ट हुक्म में पेश हुई। वकील
राजेश्वर दावा उपस्थित। वकील राणी ने अपना
दावा Not Proven के खारिज कर दिया है।
अतः आं पत्र 212 RTA के चलने का कोई
कोनिका नहीं है। अतः आं पत्र को भी
खारिज किया जाता है। पत्रावली में
अग्रिम चरण सलमा के ऊपर है।
OW
830K